e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024....12771

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
(शेखपुरा एवं अरवल जिला छोड़कर)
बिहार।

पटना, दिनांक :– 17/07/2024

विषय :– सभी अंचलों में स्थापित किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण शिविरों के लिए सामग्री इत्यादि के क्रय एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों को क्षेत्रीय कार्य करने हेतु सामग्री क्रय कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश संख्या–177 दिनांक–11.01.2024 के आलोक में राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण शिविरों की स्थापना की जानी है। इस संबंध में आप अवगत है कि सभी नवचयनित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर कर्मियों द्वारा जिला स्तर पर योगदान दिया जा चुका है। कर्मियों के योगदान उपरांत प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है एवं प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक अंचल में 01–01 विशेष सर्वेक्षण शिविर स्थापित कर प्रत्येक शिविर में 01 विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी 02 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 02 विशेष सर्वेक्षण लिपिक तथा प्रत्येक 04 ग्राम के लिए 01 विशेष सर्वेक्षण अमीन को सम्बद्ध किया जाना है।

उक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि राज्य के 20 जिलों में वर्ष–2020 में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ करने हेतु भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–408 दिनांक–28.02.2020 तथा पत्रांक–10508 दिनांक–20.08.2020 द्वारा प्रत्येक शिविर के लिए आवश्यक सामग्री एवं उसके अनुरूप आवंटन उपलब्ध कराया गया था। इसके अनुपालन में प्रथम चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए शिविर स्तरीय कार्यालय एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों के लिए उपस्करों का क्रय कर शिविरों एवं अमीनों को उपलब्ध कराया गया था। पूर्व की कार्य–योजना के अनुसार 20 से 25 ग्रामों पर 01 शिविर की स्थापना किये जाने के आधार पर प्रत्येक अंचल में ग्रामों की संख्या के आलोक में एक या अधिक शिविरों की स्थापना की गई थी।

वर्त्तमान कार्य–योजना के अनुसार प्रत्येक अंचल में 01 विशेष सर्वेक्षण शिविर को स्थापित किया जाना है एवं पूर्व में अंचल स्तर पर एक से अधिक शिविरों को अंचल स्तरीय शिविर के साथ सम्बद्ध किया जाना है। इस परिस्थिति में पूर्व से जिन अंचलों में एक से अधिक शिविर स्थापित है, उनके उपस्कर यथा–कुर्सी, टेबुल इत्यादि को उसी जिले में अन्य अंचलों में स्थापित होने वाली शिविरों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा एवं सभी अंचलों में उपस्कर की सामग्री पूर्ण होने के उपरांत शेष बचे हुए उपस्कर आदि को जिले के विभिन्न अंचलों अथवा बन्दोबस्त कार्यालय में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्य करने के लिए पूर्व में विशेष सर्वेक्षण अमीनों को जो उपस्कर यथा–स्केल, गुनिया, तख्ती तिपाई इत्यादि उपलब्ध कराये गये थे, उनसे सामग्रियों को प्राप्त कर नई सामग्री क्रय होने तक अंचल स्तरीय शिविर कार्यालय में संधारित कर आवश्यकतानुसार विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्त्तमान समय में भी प्रत्येक शिविर के लिए उपस्कर इत्यादि का क्रय किया जाना है। क्रय किये जाने वाली सामग्री की सूची, अनुमानित दर एवं व्यय होने वाली अनुमानित राशि का आकलन निम्नवत है :–

क्र0 स0	सामग्री का नाम	संख्या	अनुमानित दर	व्यय होने वाली अनुमानित राशि
1	लकड़ी का टेबुल लगभग 4'x 2.5'x3'	4	4000	16000
2	लकड़ी की कुर्सी	4	2500	10000
3	प्लास्टिक कुर्सी	30	1500	45000
4	बक्सा लगभग 4'x 2.5'x3'	5	3000	15000
5	तख्ती तिपाई	1	3500	3500
6	कैलकुलेटर	3	500	1500
7	चैन (जरीब)	1	2000	2000
8	विविध सामग्री	–	–	7000
	कुल			**100000/–रूपये**

शिविर स्तरीय कार्यालय की स्थापना किये जाने के साथ–साथ भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–408 दिनांक–28.02.2020 तथा पत्रांक–10508 दिनांक–20.08.2020 द्वारा प्रत्येक विशेष सर्वेक्षण अमीन को क्षेत्रीय कार्य करने के लिए सामग्री एवं उसके अनुरूप आवंटन उपलब्ध कराया गया था। वर्त्तमान समय में भी प्रत्येक नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए निम्नांकित उपस्कर का क्रय किया जाना है, जिसकी सूची एवं व्यय होने वाली अनुमानित राशि निम्नवत हैः–

क्र0 स0	सामग्री का नाम	संख्या	व्यय होने वाली अनुमानित राशि
1	मापने का टेप	1	350
2	गुनिया	1	60
3	प्लॉटिंग स्केल	1	40
4	डिवाइडर ब्रास	1	70
5	तख्ती तिपाई	1	2500
6	स्केल 30 से0मी0	1	15
7	सूजा	1	40
8	कैलकुलेटर	1	225
9	मैप कंटेनर/कवर	1	200
	कुल		**3500/–रूपये**

शिविर स्तरीय उपस्कर एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए क्रय किये जाने वाले उपस्कर आदि के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध कराये गये आवंटन के आलोक में निर्धारित सूची के अनुसार प्रत्येक शिविर एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए निर्धारित उपस्करों का वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुकूल क्रय कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सभी सामग्रियों की भंडार पंजी शिविर स्तर पर संधारित कर आवश्यकतानुसार विशेष सर्वेक्षण अमीनों को उनके उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाए एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुनः शिविर कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
17/7/24

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024 12771 **पटना, दिनांक :** 17/07/2024
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/24
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2024\Birendra Sir\Director\file no__13_2024_16.07.2024.doc

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.....12771.....**पटना, दिनांक** :....17/07/2024....

प्रतिलिपि : सभी समाहर्त्ता, (शेखपुरा एवं अरवल जिला छोड़कर) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/24

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.....12771.....**पटना, दिनांक** :....17/07/2024....

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/24

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.....12771.....**पटना, दिनांक**:....17/07/2024....

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.....12771.....**पटना, दिनांक**:....17/07/2024....

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/7/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024.....12771.....**पटना, दिनांक**:....17/07/2024....

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप